

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

क्रमांक 69 / भीलवाडा / 2002-03

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री छालचन्द बोरदिया स्मृति सेवा संस्थान, भीलवाडा का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक 22.10.2002 को किया गया था।

अब उक्त संस्था का नाम परिवर्तन कर प्रज्ञा सेवा संस्थान, भीलवाडा कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से दिनांक 16/6/2003 को भीलवाडा में दिया गया।

1.
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
भीलवाडा

प्रज्ञा सेवा संस्थान

अध्यक्ष संविव कोषाल्यक